an>

Title:* h Need to streamline the process of blood donaion.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान राज्यों में सरकारी व निजी अस्पतालों में रक्तदान प्रक्रिया जैसे अहम् विषय पर लोगों की गम्भीर परेशानियों पर केंद्रित करना चाहता हूं। अध्यक्षा जी, जैसा कि सभी जानते हैं कि रक्तदान, जीवन दान है। हमारे द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को जीवन देता है और इस बात का अहसास हमें तब होता है जब हमारा कोई अपना खून के लिए जिंदगी और मौत के बीच जूझता है। उस वक्त हमें संज्ञान होता है और उसे बचाने के लिए खून के इंतजाम की हम जद्दो-जेहद करते हैं। परंतु इस संदर्भ में सरकारी एवं निजी अस्पतालों का रवैया मरीज व्यक्ति व उसके परिजनों के लिए निराशाजनक होता है। रक्तदान करने वाला व्यक्ति, जिसे रक्तदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उक्त अस्पताल से रक्तदान का कार्ड मुहैया कराया जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण, उस व्यक्ति को जब कभी दुर्घटना व बीमारी के चलते स्वयं खून की आवश्यकता पड़ती है, तो अस्पताल प्रशासन द्वारा कहा जाता है कि जिस अस्पताल में रक्तदान किया है व रक्तदान कार्ड बना है, उसी अस्पताल से खून मिलेगा। इस प्रकार की परिस्थिति में रोगी के परिजनों को काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं, विशेषकर गरीब लोगों, जिसके चलते मरीज के इलाज में समय पर खून उपलब्ध न होने से उसकी मृत्यु तक हो जाती है।

अध्यक्ष महोदया, आज देशभर के शिक्षित, सभ्य समाज के नागरिक एवं युवाओं में रक्तदान का महत्व कई गुना बढ़ा है, जो केवल अपनी नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए रक्तदान कैम्पों/अस्पतालों में काफी मात्रा में रक्तदान करते हैं, जिससे कई जिंदगियों को उनके द्वारा जीवनदान मिलता है। अगर गम्भीर परिस्थितियों में सरकारी/निजी अस्पतालों द्वारा जरूरत पड़ने पर रक्तदान कार्ड-धारक मरीज को भर्ती अस्पताल से खून के लिए अन्य अस्पतालों में भटकाया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की मरीज की दशा होने पर रक्तदान करने वाले व्यक्तियों की सोच इस विषय में काफी प्रभावित होगी।

अतः इस संदर्भ में, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकारी व निजी अस्पतालों को उपरोक्त समस्या के समाधान स्वरूप दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। जिससे कि रक्तदान कार्ड-धारक मरीज को भर्ती अस्पताल से ही जरूरत पड़ने पर खून मुहैया कराया जा सके और वे अस्पताल उस अस्पताल से स्वयं खून मांगे, जहां उसने रक्तदान किया हो उसका कार्ड नम्बर लेकर, इससे उसे अन्य अस्पतालों में भटकना नहीं पड़ेगा। आपने मुझे इस संवेदनशील मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. मनोज राजोरिया, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

13.00 hours